

ग्रामीण विकास विभाग,एस0एस0ओ बिल्डिंग, शासन सचिवालय,जयपुर

क्रमांक एफ 24(10)ग्रा.वि./केभ/स्टोर/2006

जयपुर दिनांक:

फोटो स्टेट कार्य अनुबन्ध हेतु बोली (बिड) आमंत्रण सूचना
एन.आई.बी. संख्या-03/2019-20 दिनांक

3 SEP 2019


1. ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिवालय, जयपुर कार्यालय में फोटो स्टेट मशीन स्थापित कर फोटो स्टेट कार्य के लिए वार्षिक अनुबन्ध पर सेवाओं के उपापन (Procurement) के लिये संबंधित फर्मों से निम्न विवरणानुसार सील बन्द लिफाफे में बोली (बिड) आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित वार्षिक लागत	बोली प्रतिभूति	बोली दस्तावेज शुल्क	अनुबन्ध की अवधि
1	ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिवालय, जयपुर कार्यालय में मशीन स्थापित कर फोटो स्टेट कार्य अनुबन्ध हेतु।	6.00 लाख	12000	200/-	एक वर्ष जिसे आपसी सहमति से एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

2. बोली (बिड) दस्तावेज राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाईट <http://sppp.raj.nic.in> पर या विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in तथा कार्यालय में देखे/प्राप्त किये जा सकते हैं। बोली दस्तावेज उक्त वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते हैं या विभागीय कार्यालय में निर्धारित फीस रूपये 200/- नकद, बैंकर्स चैक या बैंक ड्राफ्ट के जरिये जमा कराकर बोली प्रस्तुत करने की तिथि से एक दिवस पूर्व तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। वेबसाईट से डाउनलोड बोली दस्तावेज के लिये भी निर्धारित फीस बोली प्रस्तुत करने से पूर्व जमा कराने पर ही बोली स्वीकार्य होगी।

3. बोली (बिड) के समस्त पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या डाली जाकर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निर्धारित प्रतिभूति के साथ सील बन्द लिफाफे में दिनांक 12.09.2019 को अपरान्ह 1.00 बजे तक संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) के कमरा नम्बर 8113 प्रथम तल उत्तर-पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर को व्यक्तिशः या जरिये डाक प्रस्तुत की जा सकती है। बोली (बिड) लिफाफे पर "एनआईबी संख्या. 3 फोटो स्टेट कार्य के लिये बोली (बिड)" एवं "दिनांक 12.09.2019 समय 3.बजे से पूर्व नहीं खोला जावे" लिखा जाकर बोली (बिड) प्रस्तुत की जावे।

4. बोली (बिड) के साथ अनुमानित वार्षिक लागत की 2 प्रतिशत प्रतिभूति नकद बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या निर्धारित प्रपत्र में भारतीय सिड्यूल बैंक की गारण्टी के रूप में प्रस्तुत की जावें। इसके अभाव में बोली (बिड) पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् प्राप्त बोली (बिड) स्वीकार्य नहीं होगी एवं बिना खोले ही वापस लोटा दी जावेगी।
6. निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त बोली (बिड) दिनांक 12.09.2019 को सांय 3.00 बजे संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) के समक्ष कमरा नम्बर 8113, द्वितीय तल, उत्तर-पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में उपस्थित बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जावेगी।
7. उपापन संस्था न्यूनतम बोली (बिड) को स्वीकार ही करने के लिये बाध्य नहीं है। किसी भी बोली या उसके किसी भी भाग या सभी बोलियों को बिना कारण बताये निरस्त कर सकती है।
8. बोलीदाता को आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतियां बोली (बिड) के साथ प्रस्तुत करनी होगी।


संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन)
कमरा नं० 8113, उत्तरी-पश्चिमी भवन
(एस.एस.ओ. बिल्डिंग)
शासन सचिवालय, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. नोटिस बोर्ड ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

Joint.Secy(Adm.)Rural Dev Deptt.
North-West Building (SSO Building), Government Secretariate
JAIPUR - 302005

- i. Bid for **PHOTO STATE WORK**
ii. Information of the firm/Bidder

1	Name of the firm/Bidder	Information Required	Document enclosed
2	Postal address		
3	Telephone Nos.	Residence: Office: Mobile:	
4	Firm/Company Registration		
5	Fax No s.		
6	Email		
7	Name of Person to be Contacted		
	Telephone No.		
	Mobile No.		
8	PAN No.		
9	Service Tax Registration/ GST No.		

- iii. Address to (Procuring Entity) Joint.Secy(Adm.), Room No. 8113 SSO Building, Government Secretariate, Jaipur-302005
- iv. NIB reference No.06/2018-19- F24(10)KB/RD/Store/2006 Dated.....
Last date of submitting tender 12.09.2019 upto 1.00 PM.
- vi. The Bid document fee amounting to Rs. 200/- has been deposited vide cash receipt No..... Dated..... or DD/BC/BG No.....
Dated.....Amount..... Bank.....
- vii. We agree to abide by all the conditions mentioned in the above Bid notice issued by the tendering authority and also the general conditions of the said Bid notice given in the attached sheets (all the page of which have been signed by us in acceptance of the terms & conditions mentioned there in).
- viii. The successful Bidder is required to execute agreement with Joint Secy (Adm.) Rural Dev Deptt. on Non Judicial Stamp paper worth Rs. 500/-.
- ix. Copy of experience certificate enclosed.

Signatures of Bidder

CHECK LIST

Bidder is required to furnish the following information:

S. No	Particulars	Enclosed Yes/No	Details (DD/ Cash Receipt No., Date & Amount etc.)	Page No.	Remarks
1	Earnest money of Rs. 12,000/- if yes, furnish details				
2	Bid documents (in original)				
3	Terms & Condition duly signed or not?				
4	Lists/ documents enclosed				
5	Firm/Company Registrations				
5	PAN No.				
6	Service Tax No. /GST No.				
7	Others specify				

Note: - Please fillup the PAN and Service Tax Number and GST No. other applicable information in the relevant columns.

Signature of Bidder

फोटो स्टेट कार्य हेतु दर प्रपत्र

क्र.सं.	पेपर की साइज	फोटो स्टेट कार्य का विवरण	फोटो स्टेट की दर प्रति कॉपी अंको में समस्त कर सहित	फोटो स्टेट की दर प्रति कॉपी शब्दों में समस्त कर सहित
1.	A-4 Size	कागज के एक तरफ		
2.	A-4 Size	कागज के दोनो तरफ		
3.	FS. Size	कागज के एक तरफ		
4.	FS. Size	कागज के दोनो तरफ		

फोटो स्टेट कार्य के लिये विशेष शर्तें

1. ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिवालय, जयपुर की आवश्यकतानुसार विभागीय कार्यालय में ठेकेदार द्वारा फोटो कॉपीयर स्थापित कर, मशीन चालक एवं कागज सहित फोटो कॉपी कार्य के लिए बोली (बिड) आमंत्रित की जाती है।
2. फोटो कॉपी मशीन स्थापित करने के लिए कमरा/स्थान विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। विद्युत कनेक्शन भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा कर विद्युत उपयोग का व्यय भी विभाग द्वारा ही वहन किया जावेगा। स्थान एवं विद्युत विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाये जावेगे।
3. कार्यालय में प्रतिमाह लगभग 50000 प्रतियां फोटो स्टेट कार्य की आवश्यकता होगी। इसमें कमी या वृद्धि होने पर अनुबन्धकर्ता कोई क्लेम नहीं कर सकता।
4. फोटो स्टेट कार्य सामान्यतया राजकीय कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.30 बजे तक करना होगा। राजकीय कार्य से आकस्मिक आवश्यकता होने पर इस समय के अतिरिक्त समय में कार्य के लिए भी निर्देश दिये जाने पर निर्देशानुसार कार्य सम्पादित कराना होगा। अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता होने पर फोटो स्टेट मशीन संचालन कर कार्य करने हेतु निर्देश दिये जा सकते हे। निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करना होगा, जिसके लिए पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
5. फोटो स्टेट के लिए अच्छी स्थिति में मशीन कार्यालय में स्थापित कर मशीन ऑपरेटर की व्यवस्था एवं आवश्यक मात्रा में कागज की व्यवस्था अनुमोदित ठेकेदार को करनी होगी।
6. फोटो कॉपी के लिए न्यूनतम 75 जीएसएम का कागज ए-4 साईज एवं एफएस साईज में यथेष्ट मात्रा में कार्यस्थल में रखने होंगे ताकि कागज के अभाव में विभाग का कार्य बाधित न हो।
7. अनुमोदित ठेकेदार के मशीन चालक को कार्यालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा प्रेषित मांग पत्र प्रतिदिन साय: 6.30 बजे तक एवं राजकीय कार्य से अति आवश्यक होने पर इस के पश्चात भी स्वीकार करने होंगे एवं उसी दिन मांग पत्र में निर्देशित कार्य पूर्ण कर फोटो स्टेट प्रतियां देनी होगी।
8. फोटो स्टेट मशीन खराब हो जाने पर उसकी तुरन्त ठेकेदार द्वारा मरम्मत करानी होगी। मशीन कार्य योग्य नहीं रहने या मशीन ऑपरेटर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मशीन एवं ऑपरेटर की अन्य व्यवस्था की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। उक्त व्यवस्था नहीं होने पर विभाग द्वारा अन्य व्यवस्था कर फोटो स्टेट कार्य करवाये जाने पर 400 रुपये प्रतिदिन की शास्ती एवं प्रतिस्थापन व्यवस्था के कारण अधिक भुगतान की अन्तर राशि के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।
9. फोटो स्टेट कार्य के लिए कार्यालय द्वारा दिये गये दस्तावेजों को पूर्ण गोपनीयता के लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार होगा। दस्तावेजों की फोटो स्टेट कर बाहर ले जाने या गोपनीयता भंग की

स्थिति में ठेकेदार एवं मशीन चालक के विरुद्ध संविदा शर्तों तथा अपराधिक कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

10. बोली (बिड) स्वीकृत होने पर कार्यादेश की तिथि से 7 दिवस की अवधि में अनुमोदित ठेकेदार को कार्यालय में फोटो स्टेट मशीन स्थापित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर कार्यादेश को निरस्त करने एवं अन्य बोली (बिड) को कार्यादेश देने के लिए स्वतंत्र है। कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में बोली (बिड) की धरोहर/प्रतिभूति राशि जब्त करने योग्य होगी।
11. अनुमोदित ठेकेदार द्वारा विभाग कार्यालय में स्थापित मशीन की सुरक्षा एवं संधारण की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी प्रकार की टूट फूट, चोरी, मशीन की खराबी आदि के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
12. अनुबन्ध एवं करार की अवधि, करार की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसको आपसी सहमति से मूल अवधि को सम्मिलित करते हुए 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
13. अनुमोदित ठेकेदार के द्वारा दो प्रतियों में बिल आगामी माह की 15 तारीख तक मय मांग पत्र संबंधित अधिकारी से प्रमाणित कर प्रस्तुत करने होंगे।
14. आयकर/टीडीएस की राशि बोली (बिड) से नियमानुसार बिल में से कटौती योग्य होगी।

हस्ताक्षर मय मोहर
(बोलीदाता)

फोटो स्टेट कार्य के लिए बोली (बिड) एवं संविदा की सामान्य शर्तें एवं निर्देश

टिप्पणी : बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोली प्रस्तुत करते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. बोली (बिड) को एनआईबी में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप में मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. "वास्तविक डीलरों/सेवा दाताओं द्वारा बोली (बिड)": - निविदाएँ वास्तविक डीलरों/सेवा दाताओं द्वारा ही दी जावेगी। इस संबंध में वे घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।
4. **सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र :-** कोई भी डीलर/सेवा दाता यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है तो सेवा कर पंजीयन संख्या का उल्लेख करें (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)।
5. बोली (बिड) प्रारूप स्याही/बाल पेन से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पेंसिल से भरी गयी किसी भी बोली (बिड) पर विचार नहीं किया जायेगा। बोलीदाता बोली (बिड) के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली (बिड) के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर/मुल्य संवर्धित कर (VAT) एवं केन्द्रीय बिक्री करों/सेवाकर की राशि को पृथक-पृथक से दिखाना चाहिए।
7. सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े पर नहीं देगा।
8. बोली (बिड) दस्तावेजों में अंकित शर्तों के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त शर्त या प्रतिशर्त स्वीकार्य नहीं होगी।
9. **निरीक्षण :-**
(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, को किसी भी समय सेवादाता/अनुबन्धकर्ता के कार्य स्थल या मशीन एवं कागज आदि का निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।
(ख) बोलीदाता अपने कार्यालय का पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते एवं फोन नं. के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क किया जा सके।
10. अनुबन्ध/सेवा हेतु संविदा को, यदि सेवा अनुबन्धकर्ता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद अनुबन्धकर्ता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
10. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

11. यदि सेवा प्राप्तकर्ता किन्हीं निविदत्त सेवाओं को प्राप्त नहीं करता है या बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट संख्या से कम संख्या में प्राप्त करता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।
12. **बोली अमान्त (Bid Security) :-** (क) बोली (बिड) के साथ 12,000/- रु. की बोली प्रतिभूति प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि "शासन उप सचिव, (प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग जयपुर" के पक्ष में नकद, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या भारतीय सिड्यूल बैंक की बैंक गारण्टी के रूप में प्रस्तुत की जाएगी।
(ख) बोली का प्रतिदाय :- असफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि बोली को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा शीघ्र लौटायी जाएगी।
(ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
(घ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी बोलियों के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति/प्रतिभूति निक्षेप को नयी बोलियों के लिए बोली प्रतिभूति/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।
13. **बोली प्रतिभूति का समपहरण :-** बोली प्रतिभूति को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :-
(i) जब बोलीदाता बोली (बिड) खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
(iii) जब बोलीदाता आदेश देने के बाद भी प्रतिभूति (Security) राशि जमा नहीं कराता है।
(vi) जब वह विहित समय के भीतर सेवा/अनुबन्ध आदेश के अनुसार मर्दों का सेवा/अनुबन्ध प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
14. (1) **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :-**
(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर संलग्न प्रपत्र में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सेवाओं के लिए बोली (बिड) स्वीकार की गयी है, उनके अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत के बराबर रूपये 30000/- की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि (Security money) जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से, जिसको बोली (बिड) के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।
(ii) बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति को कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति से कम की नहीं होगी।
(iii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
(iv) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि नकद अथवा "शासन उप सचिव, (प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग जयपुर" के नाम नकद, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय सिड्यूल बैंक की बैंक गारण्टी अथवा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान अनुसार अन्य निक्षेपो में जमा कराई जा सकती है।
(v) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।
- (2) **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण:** कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा:
(अ) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
(ब) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा/अनुबन्ध संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(स) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

- (3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।
15. **भुगतान : -**
- (i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सेवा/अनुबन्ध के लिए प्रत्येक माह के भुगतान हेतु बोलीदाता द्वारा सेवा अनुबन्ध कर्ता अधिकारी को उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
- (ii) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
- (iii) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।
16. (i) बोली दस्तावेज प्रपत्र में कार्य कराने के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता अनुबन्ध कर्ता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि में कराएगा।
- (ii) **परिसमापित नुकसानी :-** बोली दस्तावेज प्रपत्र की विशेष शर्तों में अंकितानुसार परिसमापित नुकसानी की दरें प्रभावी होंगी।
- (iii) यदि सेवा/अनुबन्ध किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा/अनुबन्ध को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने कार्य हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सेवा पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- (iv) यदि सेवा/अनुबन्ध करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सेवा की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
17. **वसूलियाँ:-** परिसमापित नुकसानी, रद्द की गयी सेवाओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। सेवा/अनुबन्ध, रद्द किए गए सेवा/अनुबन्ध की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सेवा प्रदाता संतोषजनक ढंग से सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
18. यदि बोलीदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली (बिड) स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
19. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली (बिड) नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली (बिड) को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए बोलीदाता ने बोली (बिड) दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली (बिड) को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सेवा की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
20. **बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-**
- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।
- (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
- (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
- (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
21. प्राप्त बोलिया (बिडस) प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस तक वैध होगी।

22. कीमते गिरने का खण्ड : राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29(2)(ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन दरें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्याधीन होगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदा में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यदि दर संविदाधारक दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्म को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि समानान्तर संविदा धारक फर्म दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल संविदा धारक फर्म को अपनी कीमते तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।
23. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को शासन सचिव, ग्रामीण विकास, विभाग राजस्थान, जयपुर के समक्ष रखा जावेगा और इस विवाद पर वे दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।
24. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।
25. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित नियम, 2013 में अंकित इस उपापन से सुसंगत सभी प्रावधान एवं शर्तें इस बोली एवं अनुबन्ध के लिए अक्षरशः लागू होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर